उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
संख्या-12/2016/9/6/35-आ-2/2007-70
लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उप धारा-(4) के खण्ड (ड.) के अधीन संलग्नक में उल्लिखित जनपदों की जिला योजना समिति में सदस्यों के नामांकन से सम्बंधित पूर्व में निर्गत आदेशों को अवक्रमित करते हुए उक्त जनपदों में उनके सामने अंकित व्यक्तियों को एतदद्वारा जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव, नियोजन।

संख्या: 12/2016/9/6/35-आ-2/2007-70, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ ।
2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3- मा. उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।
4- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
7- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा ।
8- जिलाधिकारी, हमीरपुर/बांदा ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर/बांदा ।
10- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हमीरपुर/बांदा ।
11- सम्बंधित व्यक्ति।
12- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
13- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ. प्र. को इस आशय से प्रषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंश में प्रकाशित कर दें ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव, नियोजन ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2016/9/6/35-आ-2/2007-70 दिनांक 18 मई,2016 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उप धारा (4)के खण्ड(ड़) के अधीन जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति

	जनपद का नाम	नाम-निर्दिष्ट होने वाले सदस्यों की संख्या		नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का पता
1	हमीरपुर	1	1	श्री ज्ञान सिंह यादव	लक्ष्मीबाई तिराहा, आर.टी.ओ. आफिस के पास, हमीरपुर।
2	बांदा	2	1	श्री शमीम बॉदवी	पूर्वी कोटी, डिग्गी चौराहा, बॉदा।
			2	श्री राजेन्द्र यादव	ग्राम-आबादी, (अरसौदा), तिन्दवारी, बांदा।

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव, नियोजन ।

http://shasanadesh.up.nic.in